ॐ

483 07.04.2011

STATE BANK OF INDIA

Sl. No.
GSR/001 242909

RECEIPT

[redacted]

STATE BANK OF INDIA

Branch Rewari Code No 00795

Received a sum of Rs. 11,85,000/-

(Rupees Eleven lac eighty five thousand only)

from Smt./Shri M/S B.R. [illegible] Developers P. Ltd.

s/o, d/o, w/o

residing at Delhi STATE BANK OF INDIA for credit to Government of Haryana account towards Stamp Duty [illegible]

Date 07/04/11

Place Rewari

(Signatures of Authorised Officer)

किस्म वसीका	:-	बैयनामा
मालयती	:-	2,37,00,000/-रूपयें (दो करोड़ सैंतीस लाख रूपयें)
स्टाम्प	:-	11,85,000/-रूपयें (एस.बी.आई, रेवाड़ी स्टाम्प नम्बर जी.एस.आर/001: 242909 दिनॉक 07-04-2011
रकबा	:-	39 कनाल 10 मरला
वाका	:-	धामलाका तहसील व जिला रेवाड़ी
शब्द	:-	500
		(पैन कार्ड नम्बर ए.ए.डी.सी.बी. 5204बी)

प्रलेख न: 483

दिनाँक 07/04/2011

डीड सबंधी विवरण		
डीड का नाम SALE OUTSIDE MC AREA		
तहसील/सब-तहसील रिवाडी	गांव/शहर धामलाका	स्थित धामलाका
भवन का विवरण		
भूमि का विवरण		
चाही	4 Acre 7 Kanal 10 Marla	
धन सबंधी विवरण		
राशि 23,700,000.00 रुपये		कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 1,185,000.00 रुपये
स्टाम्प की राशि 1,185,000.00 रुपये	रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 15,000.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये
	रुपये	

Drafted By: MKS

यह प्रलेख आज दिनाँक 07/04/2011 दिन गुरूवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी रामनारायण पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मनुराम निवासी देवलवास द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
रिवाडी

उ[illegible] श्री/श्रीमती/कुमारी मैसर्ज बी.एम.गुप्ता डैवलपर्स प्रा.लि. मार्फत श्रीकृष्ण क्रेता हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0.00 रुपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया।

दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी रामपाल पंच पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी देवलवास व श्री/श्रीमती/कुमारी विकास यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सुरेन्द्र सिंह निवासी बिठवाना ने की।

साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते है तथा वह साक्षी न:2 की पहचान करता है।

दिनाँक 07/04/2011

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
रिवाडी

रेट लिस्ट नम्बर:- (48,00,000/-रूपयें प्रति एकड़ के हिसाब से)

आराजी जरई का बैयनामा सरकारी नियमों के मुताबिक सही स्टाम्प पर तहरीर किया गया है।

मै रामनारायण पुत्र श्री माडूराम पुत्र श्री रामप्रसाद निवासी ग्राम देवलावास व विस्वेदार मौजा ग्राम धामलाका तहसील व जिला रेवाड़ी का हूँ।

जो कि आराजी जरई खेवट नम्बर 22, खतौनी नम्बर 26, मुसत्तील नम्बर 1, किला नम्बर 6/1(0-8), 6/2(3-8), व मुसत्तील नम्बर 2, किला नम्बर 7(4-13), 8(6-11), 9(4-12), 10(6-2), 13/1(4-0), 14/1(4-0), कुल 8 किता तादादी 33 कनाल 14 मरला का 1/6 भाग बकदर 5 कनाल 12 मरला---

व खेवट नम्बर 22, खतौनी नम्बर 27, मुसत्तील नम्बर 1, किला नम्बर 15(4-2), व मुसत्तील नम्बर 2, किला नम्बर 11(5-16), 12(8-0), 13/2(4-0), 14/2(4-0), 17(8-0), कुल 6 किता तादादी 33 कनाल 18 मरला सालम---

इस तरह सभी खेवटों को मिलाकर कुल मिजान तादादी कुल रकबा 39 कनाल 10 मरला सालम वाका मौजा ग्राम धामलाका तहसील व जिला रेवाड़ी का मै बाया मालिक व काबिज मुताबिक फर्द जमाबन्दीं साल 2007-08 की रूह से चला आता हूँ। उपरोक्त आराजी आज तक हर प्रकार के भार से पाक वो साफ है। उपरोक्त आराजी पर किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी सस्थाँ आदि से कोई भी लोन आदि ना प्राप्त किया है। उपरोक्त आराजी हर प्रकार के आड़ रहन-बैय, हिब्बा, पटटा, तबादला या अन्य किसी भी दीगर तरीक पर मुन्तकिंल ना की गई है। अब मुझ बाया को बराये करने तरक्की दीगर खुद रूप्यों की दरकार है। सो मैने अपने आत्मज्ञान तथा प्रसन्नचित मन से बिना किसी भी दबाव व बहकाव के अपनी मरजी वो खुशी से अपने होश व हवाश में स्वस्थचित व स्वस्थ बुद्धि के होते हुए अपनी उपरोक्त आराजी 39 कनाल 10 मरला सालम वाका मौजा ग्राम धामलाका तहसील व जिला रेवाड़ी को कुल हक हकूक मय हक थली से आकाश सहित बदले मुबलिंग 2,37,00,000/- रूपयें (दो करोड़ सैतीस लाख रूपयें) जिसके आधे सिक्के भारत सरकार के

Reg. No. 483 | **Reg. Year** 2011-2012 | **Book No.** 1

क्रेता

गवाह

विक्रेता

रामनारायण________________

क्रेता

मैसर्ज बी.एम.गुप्ता डेवलपर्स प्रा.लि. बजरिये श्रीकृष्ण________________

गवाह 1:- रामपाल________________ गवाह 2:- विकास यादव________________

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कर्मांक 483 आज दिनाँक 07/04/2011 को बही नः 1 जिल्द नः 517 के पृष्ठ नः 144 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 5,942 के पृष्ठ सख्या 25 से 29 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 07/04/2011

उप/संयुक्त पँजीयन अधिकारी
रिवाडी

मुबलिंग 1,18,50,000/-रूपयें होते है में बदस्त **<u>मैर्सज बी.एम. गुप्ता डवलपर्स प्रा० लि० नम्बर-2, प्रथम तल 5948-5949, बस्ती हरफुल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली-110006</u>** बजरियें श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री छाजूराम पुत्र श्री तोड़ाराम निवासी शान्ति लोक ग्रुप, हाऊसिंह सोसायटी, सैक्टर-3, रेवाड़ी को बैय कतई वो फरोक्त कर दी है। और कुल कीमत सब की सब मै बाया केता से बरूवें:-

(1) डी.डी. नम्बर 020688 दिनॉक 07-04-2011 मुबलिंग 49,90,000/- रूप्यें (उन्नचास लाख नब्बे हजार रूप्यें) बैकं- एच.डी.एफ.सी बैकं, माडॅल टाऊन, रेवाड़ी अर्जा श्री रामनारायण को।

(2) डी.डी. नम्बर 020690 दिनॉक 07-04-2011 मुबलिंग 49,50,000/- रूप्यें (उन्नचास लाख पचास हजार रूप्यें) बैकं- एच.डी.एफ.सी बैकं, माडॅल टाऊन, रेवाड़ी अर्जा श्री रामनारायण को।

(3) डी.डी. नम्बर 020691 दिनॉक 07-04-2011 मुबलिंग 49,60,000/- रूप्यें (उन्नचास लाख साठ हजार रूप्यें) बैकं- एच.डी.एफ.सी बैकं, माडॅल टाऊन, रेवाड़ी अर्जा श्री रामनारायण को।

(4). डी.डी. नम्बर 020699 दिनॉक 07-04-2011 मुबलिंग 47,00,000/- रूप्यें (सैतालिस लाख रूप्यें) बैकं- एच.डी.एफ.सी बैकं, माडॅल टाऊन, रेवाड़ी अर्जा श्री रामनारायण को।

(5) चैक नम्बर 809590, दिनॉक 11-10-2010, मुबलिंग 25,00,000/-रूप्यें (पच्चीस लाख रूप्यें) बैकं-एच.डी.एफ.सी बैकं, माडॅल टाऊन, रेवाड़ी अर्जा श्री रामनारायण को।

(6) चैक नम्बर 809589, दिनॉक 27-09-2010, मुबलिंग 3,00,000/-रूप्यें (तीन लाख रूप्यें) बैकं-एच.डी.एफ.सी बैकं, माडॅल टाऊन, रेवाड़ी अर्जा श्री रामनारायण को।

(7) मुबलिंग 2,00,000/-रूप्यें (दो लाख रूप्यें) नगद दिनॉक 11-10-2010 को अर्जा श्री रामनारायण को।

(8) मुबलिंग 11,00,000/-रूप्यें (ग्यारह लाख रूप्यें) नगद दिनॉक 07-04-2011 को अर्जा श्री रामनारायण को।

वसूल पा चुका हूँ। और इस तरह मै बाया केता से कुल रकम मुबलिंग 2,37,00,000/-रूप्यें (दो करोड़ सैतीस लाख रूप्यें) उपरोक्त रूप से वसूल पा चुका हूँ। और अब विकय राशि में से कुछ भी

लेना बाकाया ना रहा है। विक्रय आराजी का कब्जा मौके पर केता का कराकर उसको मुझ बाया जैसा पूर्णरूप से मालिक व काबिज बना दिया है। अब विक्रय आराजी से मुझ बाया व मेरे किसी भी अन्य वारसान का कोई भी ताल्लूक वो वास्ता किसी भी किस्म का ना है। और ना ही भविष्य में रहेगाँ। उपरोक्त विक्रय आराजी की बाबत भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म का दावा व मुतालबा करेगा तो वह इस वसीका हर्जा की रूह से नाजायज व बातिल होगा। यदि विक्रय आराजी या उसका कोई भी भाग का कब्जा किसी भी कानूनी नुक्श मिलकियती या वाक्याती की वजह से केता के हाथ से निकल जावेगा तो उस सुरत में उसकी पैरवी, जबाब-देही, हर्जा-खर्चा, व वापसी कुल कीमत की अदायगी का मै बाया व मेरी जायदाद जात खास भी जिम्मेवार होगी। कुल खर्चा बैयनामा इलावा कीमत के केता ने अलग से अपने पास से लगाया है। यह बैयनामा मुझ बाया व केता की हिदायत के अनुसार तहरीर किया गया है।

मजमून बैयनामा मैने सुन व समझ लिया है और सुनने व समझने के बाद सही वो दुरूस्त मानकर अपने हस्ताक्षर/निशान/अगुठें किए है।

अतः यह बैयनामा लिख दिया है ताकि सनद् रहें और वक्त जरूरत काम आवें ।

तहरीर तारिखः- 07-04-2011

श्री रामनारायण - बाया (विकेता)

मैर्सज बी.एम. गुप्ता ड्वलपर्स प्रा0 लि0 नम्बर-2, प्रथम तल 5948-5949, बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड़, दिल्ली-110006 बजरियें श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री छाजूराम पुत्र श्री तोड़ाराम निवासी शान्ति लोक ग्रुप, हाऊसिंह सोसायटी, सैक्टर-3, रेवाड़ी-केता

गवाह:- श्री रामपाल पंच
R/o देवलावास

रामपाल

गवाह:- श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलबीर निवासी ग्राम देवलावास तह0 व जिला रेवाड़ी।

Birender Singh

गवाह:-श्री विकास यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिठवाना तह0 व जिला रेवाड़ी।

Vikas

The above said instruments is drafted as per instructions of the parties to the deed drafted by

M. Sharma

Manoj Kumar Sharma Advocate
REWARI 07-04-2011